उद्योग मंत्री (श्री अमीन सिंह) : (क) जी, हां। एसोचैम ने सुझाव दिया है कि जिन लघु औद्योगिक एककों का संयंत्र व मशीनों में 5 लाख रु. अथवा कम निवेश है उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के अधीन अलग कर दिया जाए और इन्हें वे लाभ प्रदान करके संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया जाए जो खादी तथा ग्रामोद्योगों को उपलब्ध हैं।

(ख) लघु एककों में अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी बेहतर राहत शर्तों से दी जा रही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा गैर-पिछड़े क्षेत्रों में 12 प्रतिशत ब्याज दर पर 25,000/- रु० तक निश्चित ऋण दिए जाते हैं। सावधी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अति लघु, कुटीर व ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 रु० तक के निश्चित ऋणों पर भी रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है। बैंकों द्वारा दिए गए 2 लाख रु० तक के ऋणों पर 12.5 और 14 प्रतिशत के बीच ब्याज वसूल किया जाता है जो इस राशि से अधिक की राशि पर लगने वाले ब्याज की तुलना में कम है।

15 लाख रु० (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची के एक से अधिक अध्याय शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले एककों के मामले में 30 लाख रु) तक की स्वीकृतियां रखने वाले एककों के लिए पूरी छूट है। 15 लाख रु० से अधिक तथा 75 लाख रु० तक की स्वीकृतियों के लिए सामान्य शुल्क 10 प्रतिशत कम कर दिया जाता है, जो न्यूनतम 5% यथामूल्य है।

लघु एककों में अपेक्षाकृत अधिक छोटे एककों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के वास्ते अतिरिक्त सहायता देने के लिए हाल में कई उपाय शुरू किए गए हैं। अति लघु/लघु क्षेत्र की नई परियोजनाओं, जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रु० है तथा जो 5,00,000 से अधिक आबादी वाले गांव अथवा कस्बे में स्थित हैं, के लिए इक्विटी के प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित की गयी थी। 1998 में एक सिंगल विन्डो योजना शुरू की गयी थी जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक 5 लाख रु० की परियोजना, लागत वाले लघु एककों को अचल परिसम्पत्तियों तथा पंजीगत ऋणों के लिए सावधी ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। एस०एफ०सी०/एस० आई०डी०सी० इन लघु औद्योगिक एककों को अचल परिसम्पत्तियों के लिए सावधी ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए भी 2.5 लाख रु० तक ऋण उपलब्ध कराते हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग के लिए नये क्षेत्रों का चुना जाना

768. श्री आरिफ बेग : क्या पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में कुछ नये क्षेत्र चुने हैं जहां ड्रिलिंग की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें ड्रिलिंग कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) खोजी ड्रिलिंग/परामीट्रिक ड्रिलिंग

के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है :

मध्य प्रदेश -- ताधिया,
अनहोनी,
देवारी और
खावेरा

महाराष्ट्र -- पदमपुर
उमारठी

आन्ध्र प्रदेश -- नगारम
अम्बराम्पेट और
प्रानहिता-गोदावरी
ग्राबेन

गुजरात -- कैम्बे की खाड़ी

राजस्थान -- मियाजलार सब-बेसिन

उत्तर प्रदेश -- गंगा घाटी में बहरासपुर
डिप्रेसन और बहराइच को

इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के काम को आठवीं योजना की अवधि के दौरान हाथ में लिये जाने की संभावना है।

Rate of Royalty on Crude Oil

769. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have enhanced the rate of royalty on crude oil, payable to the States, by Rs. 100/- per tonne; if so, on what basis this decision has been taken and whether this is an ad-hoc increase;

(b) when the decision was taken and when it was conveyed to Gujarat Government and whether the additional amount has been paid to the State Government by the oil companies; and

(c) whether Government are considering the demand of Gujarat Government to enhance the rate of royalty to Rs. 682.50 paise per tonne; if so, by when a final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) The revision of the rate of royalty on crude oil is under review in consultation with the concerned State Governments. In the meanwhile, an ad-hoc payment of Rs. 100/- per metric tonne is proposed to be made for 1989-90 which would be adjusted against the final revision of the rate of royalty.

कच्चे तेल (क्रूड आयल) पर दी जाने वाली रायल्टी

770. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 7 अगस्त, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2490 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।